

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी—अक्षत कुमार सिंह (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या
215/2025

दायर दिनांक
28.04.2025

निर्णय दिनांक
16.05.2025

उनवान

1. खेमचंद पुत्र छगना कोली निवासी पंचमुखी बालाजी रोड, दादाबाडी, वार्ड नं. 52. भीलवाडा
2. गीता देवी पुत्री छगना कोली नि० पंचमुखी बालाजी रोड, दादाबाडी, वार्ड नं. 52. भीलवाडा
3. प्रेमचंद पुत्र छगना निवासी कोली पंचमुखी बालाजी रोड, दादाबाडी, वार्ड नं. 52. भीलवाडा
4. भंवर लाल पुत्र छगना कोली नि० पंचमुखी बालाजी रोड, दादाबाडी, वार्ड नं. 52. भीलवाडा
5. लाली देवी पुत्री छगना कोली नि० पंचमुखी बालाजी रोड, दादाबाडी, वार्ड नं. 52. भीलवाडा
6. लीला देवी पुत्री छगना कोली नि० पंचमुखी बालाजी रोड, दादाबाडी, वार्ड नं. 52, भीलवाडा

—प्रार्थीगण

बनाम

1. मेवालाल पुत्र रामचन्द्र खटीक नि. तिलकनगर, सिद्धी विनायक हॉस्पिटल के पास, भीलवाडा
2. श्याम लाल पुत्र श्री प्यारचंद जी खटीक निवासी भीलवाडा
3. सुरेशचन्द्र पुत्र श्री रामचन्द्र खटीक निवासी भीलवाडा
4. सोसर बाई पत्नी प्यारचंद खटीक निवासी भीलवाडा
5. रामदेव पुत्र हीरा कोली, निवासी भीलवाडा
6. भगवती लाल पुत्र भंवरलाल चपलोट. निवासी आजाद नगर भीलवाडा
7. सुनील पुत्र राजेन्द्र कुमार दरक, निवासी आजाद चौक, भीलवाडा
8. सीता देवी पत्नी केदारमल बाहेती, निवासी बाजार नं. 2. भीलवाडा
9. अशोक कुमार पुत्र धीसु लाल खटीक निवासी पंचमुखी रोड, दादाबाडी, भीलवाडा
10. छोटू पुत्र शंकर लाल कोली, निवासी दादाबाडी, भीलवाडा
11. रमाकान्त पुत्र जानकीलाल कोली, निवासी तिलक नगर, सामुदायिक भवन के पास, भीलवाडा
12. कमला देवी पत्नी ओमप्रकाश खटीक निवासी भीलवाडा,
13. राजस्थान राज्य ज़रिये तहसीलदार भीलवाडा ।


— विपक्षीगण

उपस्थित:-

1. अधिवक्ता प्रार्थीगण श्री मुकेश धोबी उपस्थित ।
 2. अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 12 उपस्थित नहीं
- : प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 आर०एल०आर एक्ट :-

—: निर्णय :-

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने विपक्षीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज० भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम हरणीकलां पटवार हल्का क्षेत्र हरणीकलां भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा की आराजी संख्या 378 रकबा 0.4679 हैक्टेयर कृषि भूमि स्थित है। उक्त कृषि भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काशत की है और विपक्षीगण के पडौसी खातेदारान है।


उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीगण अपनी खातेदारी आराजी की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थीगण उक्त वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 12 उपस्थित नहीं। प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थीगण अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है। मैंने प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश हेतु नियत किया गया।

मैंने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण उक्त आराजियात के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे अपनी आराजियात की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

अतः तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन (पत्थरगढी) करने का आदेश दिया जाता है कि ग्राम हरणीकला पटवार हल्का क्षेत्र हरणीकला भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा की आराजी संख्या 378 रकबा 0.4679 हैक्टेयर, कृषि भूमि स्थित है। उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000-00 अक्षरे एक हजार रुपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 16-09-2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षत कुमार सिंह)
उपस्थित अधिकारी
भीलवाडा
भीलवाडा